

/आदेश/

सिन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण नालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण गिन सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सामुदायिक कॉलम-6 में अंकित जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मनमोहन सोमानी, सहा.शिक्षक	BH-5127	शा.प्रा.वि.दावतपुरा जिला देवास	23230501001	इन्दौर
2.	श्रीमती अनीता शर्मा, सहा.शिक्षिका,	AK 2047	शा.कन्या मा. विद्यालय बीनागंज जिला गुना	23070439602	भोपाल
3.	श्रीमती कुसुम रामान्दी, सहा.शिक्षिका,	A: 7754	शा.बा.प्रा.वि.नागदा जिला सागर	23250109901	इन्दौर
4.	श्रीमती विमला चौहान, सहायक शिक्षिका	AQ 9467	शा.बा.प्रा.वि.गांधी सागर नं. 8 तह.भानपुरा जि.मंदसौर	23190108708	इन्दौर
5.	श्री मनीष जैन, सहायक शिक्षक	AH 8080	शा.केशोराम पाण्डे, क.प्रा. शाला जिला दमोह	23120317602	जबलपुर
6.	श्री यशवंत कुमार जैन, प्रधानाध्यापक		शा.मा.वि.खड़ावदा जिला नीमच	2722003031	मंदसौर
7.	श्री रामचन्द्र पालशिरा, सहायक शिक्षक	AO1409	शा.प्राथ.शाला ए खण्ड संकुल सलगांव वि.ख. पुनासा जि.पू.नि.खण्डवा	23250900101	खरगोन
8.	श्रीमती संतोष परिहार, जि. क्रि. अधि.	AQ 5494	कार्यालय जि.शि.अधि. राजगढ़	2330010DS01	कार्यालय जि.शि. अधि.उज्जैन
9.	श्री अनूप कुमार डांगीवाला, पो.टी.आई.	AB 4837	कार्यालय जि.शि.अधि. सिवनी	2344010DS01	कार्यालय जि.शि. अधि.कटनी
10.	श्रीमती ज्योति बाला निगम, जि.क्रि.अधि.	BA 3824	कार्यालय जि.शि.अधि. शाजापुर	2322060DS01	संयुक्त संचालक इन्दौर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।


3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय

सेवक की सेवा पुंस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करा संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के मा से अवगत करायें।

- 5/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.24 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


 7.6.11  
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था 3/सी-2/अं.जि.स्था./30 /2011/1152  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/06/2011

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्रा महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-देवास, इन्दौर, गुना, भोपाल, धार, मंदसौर, दमोह, जबलपुर, नीमच, खण्डवा, खरगौन, राजगढ़, उज्जैन, सिवनी, कटनी एवं शाजापुर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- देवास, इन्दौर, गुना, भोपाल, धार, मंदसौर, दमोह, जबलपुर, नीमच, खण्डवा, खरगौन, राजगढ़, उज्जैन, सिवनी, कटनी एवं शाजापुर म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- देवास, इन्दौर, गुना, भोपाल, धार, मंदसौर, दमोह, जबलपुर, नीमच, खण्डवा, खरगौन, राजगढ़, उज्जैन, सिवनी, कटनी एवं शाजापुर म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त  
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश